भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-161

उत्तर देने की तारीख-03/02/2025

जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण

†161. श्री राजीव राय:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान शिक्षा ऋण के लिए कुल कितने छात्रों ने आवेदन किया और कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई;
(ग) इन शिक्षा ऋणों की स्वीकृति में औसतन कितना समय लगता है; और
(घ) शेष ऋण अनुरोध को अस्वीकार करने के कारणों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क): ऋण वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) का विषय है। डीएफएस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा तैयार मॉडल शिक्षा ऋण योजना (एमईएलएस) को अपनाने की सलाह दी गई है। इस योजना को समय-समय पर आईबीए द्वारा संशोधित किया गया है और इसका नवीनतम संशोधन एमईएलएस, 2022 है। योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. यह योजना आवश्यकता-आधारित शिक्षा ऋण प्रदान करती है।
ii. 7.50 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए किसी संपार्श्विक सुरक्षा/तीसरे पक्ष की गारंटी की आवश्यकता नहीं है। क्रेडिट गारंटी कवरेज को 'शिक्षा ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना' (सीजीएफएसईएल) के तहत बढ़ाया गया है।
iii. 4 लाख रुपये तक के ऋण के लिए कोई मार्जिन नहीं है।
iv. सभी मामलों में अध्ययन अवधि प्लस एक वर्ष तक अधिस्थगन अवधि की अनुमति है।

v. सभी ऋणों के लिए पुनर्भुगतान अवधि (अधिस्थगन के बाद) 15 वर्ष तक उपलब्ध है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक मामले के आधार पर ₹ 7.5 लाख से अधिक के संपार्श्विक-मुक्त शिक्षा ऋण भी प्रदान करते हैं।

इसके अतिरिक्त दिनांक 6 नवंबर 2024 को पीएम विद्यालक्ष्मी नामक एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत शीर्ष गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले छात्रों को संपार्श्विक-मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है। शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए क्यूएचईआई की सूची तैयार करने के लिए एनआईआरएफ 2024 रैंकिंग को ध्यान में रखा गया है और इसके लिए 860 क्यूएचईआई का चयन किया गया है। क्यूएचईआई में योग्यता के आधार पर प्रवेश पाने वाले और शिक्षा ऋण प्राप्त करने के इच्छुक सभी छात्र इसे प्राप्त करने के पात्र हैं।

(ख) से (घ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2023-24 में शिक्षा ऋण के लिए लगभग 4.66 लाख आवेदक थे और स्वीकृत की गई राशि ₹41,600 करोड़ से अधिक थी। आईबीए द्वारा सूचित किए गए अनुसार, सामान्य तौर पर, स्वीकृति/अस्वीकृति बैंक में सहायक दस्तावेजों के साथ विधिवत पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर सूचित की जानी चाहिए। इसके अलावा, मॉडल शिक्षा ऋण योजना के अनुसार, ऋण आवेदन की अस्वीकृति, यदि कोई हो, अगले उच्च प्राधिकारी की सहमति से की जाएगी और अस्वीकृति का कारण बताते हुए छात्र को सूचित किया जाएगा।

****